न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्रमांक - A/F 1376 - II/16 सन 2016

(1) रामकिशोर पाठक तनय स्व. श्री परशुराम पाठक आयु 52 वर्ष
निवासी - गौरिहार, हालनिवासी - छतरपुर (म.प्र.) ——

(2) ब्रजकिशोर पाठक तनय स्व. श्री परशुराम पाठक आयु वर्ष
निवासी - गौरिहार, हाल - छतरपुर (म.प्र.) —— निगरानीकर्तागण

बनाम

शासन मध्य प्रदेश —————————— अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, लौड़ी, जिला छतरपुर के प्रक.क्र. 37 965/बी-121/2001-02, आदेश दिनांक 11.4.02 से परिवेदित, होकर प्रस्तुत

महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते हैं :-

(1) यह कि पुराने खसरा नं. 643 रकबा 2.488 हे. जिसके बन्दोबस्त के तहत नवीन सर्वे नं. 2487, 2488 रकबा क्रमशः : 1.27, 0.87 हेक्टेयर बनाये गये हैं। स्थित ग्राम गौरिहार तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म.प्र. की भूमि जिस पर निगरानीकर्तागण के पिता परशुराम तनय महादेव पाठक का सन 1970 से पूर्व से लगातार कृषि कार्य करते हुये कब्जा है। और वे अपने जीवन पर्यन्त उसमें काबिज रहकर कास्त करते हुये/रहे रहे, जिससे उनको विपरीत आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो गये थे।

(2) यह कि आवेदकगण के पिता भूमिहीन कृषक थे, जिनकी आजीविका, कृषि पर निर्भर थी, जिससे उनको उक्त भूमि पर म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी हक आधारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमिस्वामी हक, कानूनन प्राप्त हो गये थे, साथ ही प्रार्थी के पिता का 32 वर्षों से अधिक समय से लगातार कृषि करते हुये कब्जा सर्वसाधारण की जानकारी में चले आने से उनको कानून विपरीत आधिपत्य के आधार पर भी स्वत्व प्राप्त हो गये थे।

2..

सत्यापित सही

R-1376/5/16

8.7.16

आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 37965/बी–121/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 11.4.02 के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा लगभग 14 वर्ष 2 माह से विलंब से प्रस्तुत की है । विलंब का कारण भी धारा –5 के आवेदन में समाधानकारक नहीं होने के कारण निगरानी प्रथम दृष्ट्या निरस्त योग्य है। अतः प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।

सदस्य